

प्रेस नोट दिनांक 17.06.2025

थाना इलिया, चन्दौली

◆ गैंगेस्टर एक्ट के 02 अन्तर्जनपदीय शातिर गौ-तस्कर गिरफ्तार.

◆ तस्करी में प्रयुक्त की जाने वाली बोलेरो पिकअप सहित अवैध असलहा व कारतूस बरामद

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी व श्री वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर (IPS) व नामेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी चक्रिया के पर्यवेक्षण में इलिया पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

चन्दौली:- आज दिनांक 17.06.2025 को थानाध्यक्ष अरूण प्रताप सिंह व 30नि0 रवीन्द्र कुमार सिंह के क्षेत्र में मौजूदगी के दौरान ग्राम माल्दह की तरफ से नहर के रास्ते खजरा होते हुए एक वाहन तेज रफ्तार से बनरसिया माइनर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तेजी आ रहे वाहन को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर बनरसिया तिराहे पर ही रोक लिया गया। तलाशी के दौरान वाहन सवार दोनो व्यक्तियों की पहचान

1. चालक साहवान अंसारी पुत्र स्व० जोखू अहमद ग्राम महुआरी थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 35 वर्ष व

2. चाँद मुहम्मद उर्फ सोनू पुत्र सेराजुद्दीन ग्राम खुटहनिया थाना घोरावल जनपद सोनभद्र उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुयी।

दोनों अभियुक्तों की तलाशी से 02 मोबाइल व कुल 550 रूपया बरामद हचा तथा बोलेरो पिकअप UP64AT1953 की तलाशी से चालक की सीट पर एक तमन्चा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो इसी वाहन में सोनभद्र से गोवंशो को लादकर पन्नूगंज रायपुर होते हुए बिहार ले जाते है। इसीलिए हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए यह तमन्चा व कारतूस रखे हुए है अभियुक्तों को समय करीब 02.50 बजे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 44/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया चन्दौली।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सहवान अंसारी पुत्र स्व. जोखू अहमद, निवासी खुटहनिया थाना घोरावल सोनभद्र

1. मु0अ0सं-20/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करमा जनपद सोनभद्र
2. मु0अ0सं-263/2011 धारा 392/411 भादवि थाना करमा जनपद सोनभद्र
3. मु0अ0सं-132/2021 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि व धारा 279/427 भादवि थाना करमा जनपद सोनभद्र
4. मु0अ0सं-133/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करमा जनपद सोनभद्र
5. मु0अ0सं-153/2021 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना करमा जनपद सोनभद्र
6. मु0अ0सं-946/2015 धारा 3316/323/354/452/504/506 भादवि थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र
7. मु0अ0सं-44/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

अभियुक्त चाँद मुहम्मद उर्फ सोनू पुत्र सेराजुद्दीन निवासी खचटहनिया घोरावल सोनभद्र

1. मु0अ0सं-44/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली

(अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी एकत्रित की जा रही है।)

गिरफ्तार अभियुक्त

1. चालक साहवान अंसारी पुत्र स्व० जोखू अहमद ग्राम महुआरी थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 35 वर्ष.
2. चाँद मुहम्मद उर्फ सोनू पुत्र सेराजुद्दीन ग्राम खुटहनिया थाना घोरावल जनपद सोनभद्र उम्र करीब 20 वर्ष.

बरामदगी

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 पिकअप बोलेरो (UP64AT1953)
- 02 मोबाइल फोन

पुलिस टीम

थानाप्रभारी अरूण प्रताप सिंह
उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह
मुख्य आरक्षी कल्लन यादव
मुख्य आरक्षी राजेश यादव